# प्रैस विज्ञप्ति

# दिनांक-02.08.2019

**सिकंद्राबाद पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गैंगस्टर में वांछित 25000/- रुपये का इनामी शातिर अपराधी राजकुमार गोली लगने से हुआ घायल, एक तमंचा 315 बोर मय कारतूस व एक मोटरसाइकिल बजाज बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के आदेशानुसार जनपद मे चलाये जा रहे अपराधियो के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी श्री गोपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण मे दिनाँक 01/02.08.19 की रात्रि मे प्रभारी निरीक्षक सिकन्द्राबाद श्री योगेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र मे देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे मूखबिर द्वारा सूचना मिली कि गैंगस्टर में एक वांछित इनामी अपराधी राजकुमार किसी बड़ी घटना को अन्जाम देने के उद्देश्य से अपने साथियो से मिलने मोटरसाइकिल पर चोला की तरफ से बिलसूरी की तरफ आने वाला है जिसके पास अवैध अस्लाह भी है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल खुर्जा रोड़ बिलसूरी कट पर चैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद खुर्जा की तरफ से एक मोटरसाईकिल आती दिखाई दी जिसको पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति द्वारा भागने के उद्देश्य से अपनी मोटर साइकिल बायी तरफ के रास्ते पर तेजी से मोड़ दी जिससे उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी। बदमाश द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और खेतो की तरफ भागने लगा तब प्रभारी निरीक्षक द्वारा बदमाश को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गयी किन्तु चेतावनी को अनसुना कर बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर पुनः दो फायर किये गये। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किए गए, जिसमे बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को समय करीब रात्रि 01.15 बजे हिरासत में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल बुलंदशहर भेजा गया। मौके से एक मोटर साइकिल व नाजायज अस्लाह बरामद हुआ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1- राजकुमार पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम कुदैना थाना जहाँगीराबाद बुलंदशहर।

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 मोटरसाइकिल बजाज बिना नम्बर ।
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो लूटपाट आदि घटनाओ मे संलिप्त रहा है तथा पूर्व मे जेल भी जा चुका है तथा सिकन्द्रबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-262/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरुस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत है-

**अभियुक्त राजकुमार का आपराधिक इतिहास-**

1- मु0अ0सं0-537/17 धारा 392/411 भादवि, थाना सिकंद्राबाद बुलन्दशहर।

2- मु0अ0सं0-708/17 धारा 392/411 भादवि थाना सिकंद्राबाद बुलन्दशहर।

3- मु0अ0सं0-713/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकंद्राबाद बुलन्दशहर।

4- मु0अ0सं0-262/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकंद्राबाद बुलन्दशहर।(वांछित)

5- मु0अ0सं0-635/19 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) थाना सिकंद्राबाद बुलंदशहर।

6- मु0अ0सं0-636/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकंद्राबाद बुलन्दशहर ।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0-635/2019 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मु0अ0सं0-636/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-**

1- श्री योगेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद

2- उ0नि0 अखिलेश कुमार

3- का0 माघव सिंह, का0 नीशू कुमार, का0 महावीर सिंह, का0चालक कुलदीप सिंह